राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 43/2025 6–ए

सरकार जरिये श्री हनुइन्द्र सिंह प्रवर्तन निरीक्षक भीलवाडा –प्रार्थी

बनाम

श्री केसरीमल खटीक पुत्र श्री गोदी लाल खटीक निवासी कोटूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा मोबाईल नम्बर –अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित दवित पेट्रोलियम गैस कन्ट्रोल ऑर्डर 2000 के तहत अधिग्रहित 12 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.) मय 23.19 के.जी. एलपीजी गैस, 01 रेगूलेटर एवं 04 गैस रिफिलिंग पाईप को राजसात करने बाबत।

उपस्थित –

1. विभागीय पक्ष, प्रार्थी की ओर से
2. अप्रार्थी स्वयं

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक :– 09/04 /2026

प्रार्थी द्वारा 6–ए का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 11 के तहत लोक सेवक की परिभाषा में आता है। दिनांक 08.12.2025 को सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत व श्रीमान् जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के निर्देशानुसार कोदूकोटा कालीगेट के समीप स्थित राजकीय स्कूल के सामने गैस रिफिलिंग की शिकायत्त के जांच बास्ते पहुंचा। मौके पर श्री केसरीमल खटीक पुत्र श्री गोदी लाल खटीक के निवास स्थान के बाहर स्थित दुकान पर 12 घरेलू गैस सिलेण्डर रखे पाए गए। इस संबंध में मौके पर उपस्थित श्री केसरीमल खटीक से पूछताछ करने पर किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए न ही उक्त सिलेण्डरों के संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र या वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जिससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि आरोपी श्री केसरीमल खटीक द्वारा सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जा रहा है एवं बिना दस्तावेज के खरीद, बेचान व गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाता है। मौके पर गैस सिलेण्डर एवं गैस रिफिलिंग मशीन की मौजूदगी से स्पष्ट है कि श्री केसरीमल खटीक द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण एवं अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कृत्य किया जाकर एलपीजी ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7

9.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

के तहत दण्डनीय अपराध किया जाता है फलस्वरूप श्री केसरीमल खटीक के कब्जे से **12 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.) मय 23.19 के.जी. एलपीजी गैस, 01 रेगूलेटर एवं 04 गैस रिफिलिंग पाईप** को जब्त सरकार किया जाकर श्री चारमूजा भारत्त गैस एजेन्सी कोटड़ी को संभलाया गया।

अतः कार्यवाही सम्बन्धी पत्रादि प्रस्तुत कर निवेदन है कि आरोपी श्री केसरीमल खटीक के कब्जे से जमा किये गये 12 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 केजी) मय 23.19 के. जी. एलपीजी गैस, 01 रेगूलेटर एवं 04 गैस रिफिलिंग पाईप को राजसात करने का आदेश फरमायें। चूंकि प्रकरण के अन्तिम निस्तारण में समय लगना स्वाभाविक है तथा दक्ति पेट्रोलियम गैस ज्वलनशील, उडनशील एवं विस्फोटक पदार्थ है एवं गैस रिफिलिंग पाईप रेगूलेटर आदि के खराब होने की संभावना है. अतः प्रकरण में अन्तरिम निस्तारण का आदेश भी फरमावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए। प्रार्थी की ओर से विभागीय पक्ष उपस्थित, अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रथम गलती मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु विपक्षीगण ने निवेदन किया गया।

विवेचन उपरान्त पाया गया कि प्रस्तुत किए गए फर्द मौका की छायाप्रति अनुसार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस का अन्य रूप से कार्य किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किये गये **12 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.) मय 23.19 के.जी. एलपीजी गैस, 01 रेगूलेटर एवं 04 गैस रिफिलिंग पाईप** को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किये गये जब्तशुदा **12 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.) मय 23.19 के.जी. एलपीजी गैस, 01 रेगूलेटर एवं 04 गैस रिफिलिंग पाईप** को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तशुदा सामग्री का अन्तिम निस्तारण कर जरिये निलामी (बाजार दर से कम नही होना चाहिये) राशि राजकोष में जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9.4.26
(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाडा
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा